फर्द अहकाम
न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट बस्सी, जयपुर

...न न्यायालय
...र्थी

...ख्या 64 / 21 | बनाम | अप्रार्थीगण अर्जुनलाल व अन्य

प्रार्थना पत्र अन्तर्गन्त धारा 212 आर.टी.एक्ट

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
13.08.2021	प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रार्थी के अधिवक्ता श्री गिरिराज प्रसाद प्रजापत द्वारा विरूद्व अप्रार्थीगण प्रार्थना पत्र अन्तर्गन्त धारा 212 आर.टी.एक्ट पेश किया गया। वकील प्रार्थी की प्रार्थना पत्र पर एकपक्षीय बहस सुनी गई। न्यायालय हाजा द्वारा प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थना पत्र पर प्रस्तुत दस्तावेजो का सावधानी पूर्वक अवलोकन किया गया एवं वकील प्रार्थी की बहस का ध्यान पूर्वक मनन किया गया तो हम पाते है कि वकील प्रार्थी को एकपक्षीय स्थगन दिया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस जारी हो। पत्रावली आगामी तारीख पेशी दिनांक 10/09/2021 को पेश हो। उपखण्ड मजिस्ट्रेट बस्सी,जयपुर	277 / 17/8/? नोटिस जारी
10/9/21	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। तहसीलदार बस्सी की तामील नोटिस रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थी संख्या 4 के अलावा सभी पक्षकारों की रिपोर्ट नोटिस सम्यक रूप से प्राप्त मानी जाती है। अतः वकील प्रार्थी सुना। अप्रार्थी संख्या 4 को नोटिस पेश करें। पत्रावली दिनांक 24/9/21 को पेश हो। उप जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट बस्सी जिला-जयपुर	
8/10/2021	पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 के महा केम्प कुडबांल मे पेश हुई। प्रार्थी एंव अप्रार्थीगण उपस्थित। जिनको सरंपच ग्रा.प. कुडबाल पहचानते है। इस प्रार्थना पत्र से संबंधित मूलवाद का निस्तारण हो चुका है। अत: मूलवाद के निस्तारण हो जाने से इस प्रार्थना पत्र को आगे चलाने उप खण्ड अधिकारी बस्सी (जिला-जयपुर)	

का कोई औचित्य नही रह जाता है। अतः इस पत्रावली को खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार दर्ज नम्बर से कम होने पर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 8/10/2021 को प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 के तहत कैम्प बूडथल मे एंव मजमे आम मे सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
बस्सी (जिला-जयपुर)

(सरिता मीना) 8-10-21
सरपंच
ग्राम पंचायत बूड़थल
प.स. बस्सी, जयपुर